

जि अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना
 हरिप्रसाद बनाम राजेन्द्र कुमार आदि.
 प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा नम्बर 858 सन् 2023

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

रिपोर्ट सरिस्ता होकर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश हुई। वकील प्रार्थी
स्थित। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये
नोटिस/रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 03.11.2023 को
पेश हो।

[Signature]
 राजवीर सिंह यादव
 उपखण्ड अधिकारी
 नीमकाथाना (सीकर)

3/11/23 पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उप.।
 P.O. साहब चुनाव कार्य में व्यस्त
 होने से पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
 दिनांक 15/11/24 को पेश हो।

15/11/24 पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उपस्थित।
 P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्त है
 पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 28/11/24
 को पेश हो।

28/11/24 पत्रावली पेश हुई। अभिभावक संघ ने
 आज अदालती कार्य का स्थगन कर
 रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
 दिनांक 6/3/24 को पेश हो।

6/3/24 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी सं. 1 व वकील प्रार्थी उपस्थित।
 वकील/प्रार्थी सं. 1 ने विवेक विना कि मेरे प्रार्थी पत्र आदि
 विवेकात्मक ढंग से ही खलाश चाहता हूँ। तथा न ही आगे कोई
 कर्षणाही चाहता हूँ। अतः मेरा प्रार्थी पत्र आदि विवेकात्मक
 विवेक विना प्रार्थी व वकील प्रार्थी को पुनः पत्रावली
 पत्रावली का अनुक्रमण विना प्रार्थी अतः पत्रावली पत्र वकील प्रार्थी
 सं. 1 की हद तक विवेक की अनुमति के साथ खोली जा
 जाता है पत्रावली वाले प्रतिवकील की तलबीही दिनांक
 10/3/24 को पेश हो।

पत्रावली की
 विवेक विना प्रार्थी है।
 वकील प्रार्थी
 उपस्थित
 - EBP



7/3/24 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 12/3/24 को पेश हो।

12/3/24

पत्रावली पेश हुई। प्राथमिक व वकील प्राथमिक उपस्थित। बार-बार आवाज लगावली गयी। आवाज लगावने के उपरान्त भी प्राथमिक की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। अतः प्राथमिक का प्रथम पत्र अदालत हाजरी अदालत परी में खारिज किया जाता है। पत्रावली के अन्तर्गत शुभारंभ होकर नम्बर के अन्तर्गत अदालत हाजरी

(राजेश सिंह यादव)
उपस्थित अभिभाषक
नीमकाशाना (राज.)